



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

E-mail: vc@mggaugkp.ac.in | www.mggaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref..... MGGAU/2022-2023 / 636

Date: 31/10/22

प्रपत्र-५

सम्बद्धता की सहमति

स्थानीय जाँच समिति के आधार पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखगढ़ ने भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 13 (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त पर सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर राजा पुलिस लाइन रोड, विपरित-एल.आर.पी. गेस्ट हाउस बहराइच द्वारा प्रस्तावित सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक एंटिकल कालेज गोपनी व पोस्ट- सबलपुर, तहसील-महसी, बहराइच उत्तर प्रदेश को सत्र 2022-2023 में 60 स्नातक (बीएमएस) सीटों के साथ प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय को सम्बद्धता देना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

१
31/10/22
(आरोहो सिंह)
कुलसचिव

नोट-यह कन्वेन्ट ऑफ एफिलियेशन कार्य परिषद के निर्णय दिनांक-24.06.2022 के अनुसार निर्मान तिथि से तीन वर्ष के लिए मान्य है।

१
31/10/22
कुलसचिव

मुख्य दृस्टी, सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर राजा, पुलिस लाइन रोड, एल0आर0पी0 गेस्ट हाउस के सामने, बहराइच द्वारा छाती ३० सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ग्राम व पोर्ट सवलापुर, तहसील नहसी, जनपद बहराइच ८०५० में आयुर्वेद महाविद्यालय रथापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विवर करने के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक मुख्य दृस्टी, सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर राजा, पुलिस लाइन रोड, एल0आर0पी0 गेस्ट हाउस के सामने, बहराइच को ६० सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय रथापित करने के लिए पाठ्यक्रम पारण करने के लिए सैक्षणिक रूप से अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने वा निर्णय लिया है, जिसकी कैसा निर्माण तिथि से ०३ वर्ष तक होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) आवेदक के पास ६० शिक्षार्थी गाता अस्पताल है।
- (ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना ६० सीटों पर वी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में घोषित है।
- (ग) मुख्य दृस्टी, सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर राजा, पुलिस लाइन रोड, एल0आर0पी0 गेस्ट हाउस के सामने, बहराइच द्वारा छाती ३० सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ग्राम व पोर्ट सवलापुर, तहसील नहसी, जनपद बहराइच ८०५० में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना ६० सीटों पर वी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है एवं उक्त अनावृति प्रमाण पत्र (प्रमन-४ पत्र) इत्थ शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त संस्था महाविद्यालय के क्षेत्र का अभिलेखों में तथा भौतिक रूप से चिह्नांकन एवं सीमांकन तथा एन०सी०आई०एस०एम० की अधिसूचना दिनांक १९.०७.२०१२, ०७.११.२०१६ रव १८.०६.२०१९ में उत्तिलिखित मानकानुसार समस्त संसाधनों एवं भूमि की कमी की पूर्ति एन०सी०आई०एस०एम० के निरीक्षण के पूर्व अवश्य कर लें।

यह नीं प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मानदण्डों के अनुसार अदर्जनन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

मवदीय,
शतनन्द कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, सी०सी०आई०एम० (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग), ६१-६५, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी०-ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
- २- सचिव, आयुष मंत्रालय, वी०-ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी०पी०ओ० काम्लेक्स, आई०एन०ए० नई दिल्ली।
- ३- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
- ४- कुलसचिव, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- ५- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- ६- निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ०प्र० लखनऊ।
- ७- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा चरण)
अनु सचिव।

प्राप्ति 4

(देशी विनियम 6)

राज्य सरकार नी और से अनापत्ति प्रगाण पत्र
संख्या-3556 / 96 -आगूप- 1-2022-126 / 2021

उत्तर प्रदेश शासन

आगूप अःग्राम-1

गार्लीग चिकित्सा पञ्चाति नियाम/आगूप

दिनांक 20 अक्टूबर, 2022

लोक ये

मुख्य दस्ती
 उद्देश शुक्रवार भैरोली दस्ती
 उच्चार दस्ती शुक्रवार लाइन दस्ती
 रुक्षारुक्षीय गेल्ल दाला को सामने,
 बहुत हृषि।

दिनांक द्वारा सदौरा कुमार शुक्रवार आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेज, ग्राम व पोरट रानलापुर, तहसील महरी, झज्जनद
द्वारा द्वारा द्वारा मे दीप्तिएमारेशो पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु 60 रुपय पर अनापत्ति प्रमाण
पत्र दिनांक किये जाने के संबंध में।

लक्ष्य सर शुभ्य सचिव, आगूप नियाम, उत्तर प्रदेश शासन को राम्योधित निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं
दूत्यांकन), उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र दिनांक 20.09.2022

नहीं

निम्न तथ्यों के संबंध में वांछित "अनापत्ति प्रगाण पत्र" जारी किया जा रहा है:-

१	राज्य में विचानन चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	०८ राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में ७३ आयुर्वेदिक कालेज
२	उच्चार लोटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा डॉर आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	स्नातक- ५८८ राजकीय एवं ५४०० निजी क्षेत्र स्नातकोत्तर- ९५ राजकीय एवं २१६ निजी क्षेत्र
३	राज्य परिषद्/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	४२०१८
४	राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	२२०४ सर्विदा लगभग १०००
५	राज्य, विशेष लप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या	चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) ६११ चिकित्साधिकारी (सामुस्यारो) ९६२
६	राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं करते हैं।
७	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात	१ : ५७१२
८	चिकित्सा महाविद्यालय की रथापना/प्रवेश क्षमता गें वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की सामर्थ्या पिरा प्रकार से हल होनी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव ज्ञान शक्ति को सुदृढ़ करना है।
९	छात्र, जो राज्य के मूल नियारी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिवद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश शासन के निर्देशानुसार होता है।
१०	प्रत्यायित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक हेतु करना।

इन उपर्युक्त ग्रन्थों में आपने कहा है कि भारतीय ग्रन्थों की विद्या बहुत बड़ी विद्या है तथा इन ग्रन्थों की विद्या वास्तविक विद्या है जो जीव को लाभ प्रदान करती है। वैसे इन ग्रन्थों की विद्या वास्तविक विद्या है जो जीव को अपने द्वारा कोई कृति नहीं करती है। इन ग्रन्थों के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय है जिसकी विद्या को जीव को लाभ प्रदान करती है। इन ग्रन्थों की विद्या का नाम भारतीय विद्या है जो जीव को जीव की विद्या के अन्तर्गत लाभ प्रदान करती है। इन ग्रन्थों की विद्या है जो जीव को विद्याविद्या विद्याविद्यालय के अन्तर्गत लाभ प्रदान करती है।

जो विद्या जीव को है ऐसी

- (१) विद्या को जान दो विद्याकी वास्तविक विद्या है।
- (२) विद्याकी विद्या को जान दो विद्याविद्या विद्याविद्यालय विद्याविद्यालय की विद्या है।

- (३) युग्म दस्ती, सींवा युग्म कीरिकल स्टोर, याहू सभा, युग्म याहू और युग्मायदी विद्या वास्तविक विद्याविद्यालय की विद्या है, युग्म व युग्म युग्मायदी विद्या विद्याविद्यालय की विद्या है, युग्म युग्म युग्मायदी विद्या विद्याविद्यालय की विद्या है, युग्म युग्म युग्मायदी विद्या विद्याविद्यालय की विद्या है। युग्म युग्म युग्मायदी विद्या विद्याविद्यालय की विद्या है।

यह भी प्रश्नावित किया जाता है कि प्रश्नावित विद्याविद्यालय में भारतीय शिक्षित्या केन्द्रीय परिषद (वर्तीन वर्त भारतीय शिक्षित्या पद्धति शास्त्रीय आण्वेण) के मानदण्डों के अनुसार पाठ्यक्रम प्रवित्रीकृत रूपी है। आगे प्रायोगित किया जाता है कि वहे प्रार्थी आग्रहित विद्याविद्यालय के लिए भारतीय शिक्षित्या पद्धति शास्त्रीय आण्वेण के मानदण्डों में अनुसार अपर्याप्त उपलब्ध कर्त्तव्य हो जाते हैं और केन्द्र शरकार द्वारा आगे प्रवेश दोक्य दिया जाता है जो राज्य सरकार कोन्द्र शरकार की अनुपाति से विद्याविद्यालय में पहले से प्राप्तेष छात्रों की पूरी जिम्मेदारी देती।

भवदीय

(शीलेन्द्र कुमार)
संस्कृत साचिव।

सुच्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिवेदित विद्यालय को सुच्यनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित—

- १- गवियर, शीलेन्द्रीयाइष्टोपाठ (वर्तीन वाग भारतीय शिक्षित्या पद्धति शास्त्रीय आण्वेण), ६१-६५, भारतीय शिक्षित्या पद्धति वकार, शील-व्याक के गापने जाकर्तुरी, राज्य विद्यालय।
- २- गवियर, आग्रह पंचालय, शील-व्याक, आग्रह वकार, भारत राजकार, शीलीयोगो वाक्यालय, आई०एन०७० नई दिल्ली।
- ३- पहुँचिवेशक, शिक्षित्या विद्या एवं प्रवित्रीण, जोरा, भारतालय।
- ४- कुलाचीय, पहाड़ीयी युक्त प्रवित्रीण आग्रह विद्याविद्यालय, जोरालय।
- ५- निदेशक, आग्रहेत वेदावै, जोरा लखनऊ।
- ६- निदेशक, आग्रहेत (प्रवित्रीण एवं प्रवित्रीकार), जोरा लखनऊ।
- ७- शाह फाइल।

आङ्ग चै.

* ६४२
(पंगा चरण)
अनु सचिव।